

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर
परिवाद संख्या 46/2016

सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री सोनी मोटवानी पुत्र श्री लीलाराम मोटवानी, मैसर्स- सोनी कोल्ड ड्रिंक्स, सब्जी मण्डी, नसीराबाद, जिला अजमेर।
2. मैसर्स- सोनी कोल्ड ड्रिंक्स, सब्जी मण्डी, नसीराबाद, जिला अजमेर।

.....अप्रार्थी

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा
26 की उप धारा (2) (11) एवं धारा 52 के तहत

उपस्थित : अप्रार्थी स्वयं।

:- आदेश :-

दिनांक-21.12.2016

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरुद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने मिसब्राण्ड नेचुरल स्प्रिंग ब्राण्ड मेंगो ड्रिंक का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा माणक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 52 मे निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन गजट नोटिफिकेशन की प्रति कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति माल खरीद, बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद की अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 22.05.2015 को दोपहर 12.30 पी0एम0 बजे खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स - सोनी कोल्ड ड्रिंक्स, सब्जी मण्डी, नसीराबाद, जिला अजमेर पर पहुँचे श्री सोनी मोटवानी पुत्र श्री लीलाराम मोटवानी मौके पर उपस्थित मिले। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के दौरान विक्रय हेतु नेचुरल स्प्रिंग ब्राण्ड मेंगो ड्रिंक की 500-500 एम0 एल0 की 120 पैक बोतलों के पांच कार्टून रखे हुए थे। नेचुरल स्प्रिंग ब्राण्ड मेंगो ड्रिंक में मिलावट का शक होने पर उनमे



न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (शासन) अजमेर

से नमूना जॉच हेतु नेचुरल स्प्रिंग ब्राण्ड मेंगो ड्रिंक की 8 बोतल (500-500 एम0एल0) वास्ते नमूना जॉच हेतु 200/- रूपयें श्री सोनी मोटवानी को नगद देकर गवाह श्री राजेश कुमार त्रिपाठी के समक्ष क्रय करने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री सोनी मोटवानी को सम्भलाकर रसीद प्राप्त करने खरीदशुदा नेचुरल स्प्रिंग ब्राण्ड मेंगो ड्रिंक की 1-1 बोतल के पैकेट बनाकर प्रत्येक पैकेट को भूरे कागज में लपेट कर कागज को दोने ओर गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर डीओ के कोड क्रमांक ए/1044 दर्ज कर प्रत्येक लेबल पर हस्ताक्षर करते हुए चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर कराकर दो फार्म संख्या 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी सें सील मोहर कर, खाद्य विश्लेषक, अजमेर को शेष 2 सील बंद नमूना भाग फार्म नम्बर 6 की दो प्रति आउटर कवर मे सील बंद कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को भिजवाये जाने का उल्लेख किया गया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2015/9771 दिनांक 28.08.2015 अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस 1264/एक्ट/2015/748 दिनांक 20.08.2015 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया नेचुरल स्प्रिंग ब्राण्ड मेंगो ड्रिंक मिसब्राण्ड होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 17.05.2016 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 17.05.2016 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री सोनी मोटवानी को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 21.12.2016 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया।

नियत पेशी दिनांक 21.12.2016 को अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुये। उनके खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा पेश किये गये परिवाद मे वर्णित तथ्यों को पढकर अवगत करवाया। अप्रार्थी ने जवाब नोटिस पेश कर कथन किया कि उनके द्वारा नेचुरल स्प्रिंग ब्राण्ड मेंगो ड्रिंक में किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं की गई है। अप्रार्थी ने आगे कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा जो माल सप्लाई किया जाता है उसमें आज तक किसी भी ग्राहक अथवा दुकानदार द्वारा खाद्य वस्तु पर लगे लेबल के बारे में आज तक किसी ने शिकायत नहीं की गई है, क्योंकि इनके द्वारा सामान की उसी रूप में आगे स्पलाई की जाती है जिस रूप में इनको सामान की डिलवरी मैन्यूफैक्चरिंग कम्पनी के द्वारा भेजी जाती है। जिस पर अप्रार्थी का कोई नियन्त्रण नहीं होता। अतः अप्रार्थी के विरुद्ध कार्यवाही समाप्त की जावे। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया नेचुरल स्प्रिंग ब्राण्ड मेंगो ड्रिंक मिसब्राण्ड होना पाया गया, जिसके लिए अभियुक्त दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री सोनी मोटवानी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं माणक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) के तहत मिथ्याछाप पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 52 में मिथ्याछाप पदार्थ पाये जाने पर शास्ती आरोपित किये जाने



न्याय निष्पक्ष अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला दफतर्दार (न्यायालय) अजमेर

का प्रावधान किया हुआ है। चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेंगे। इस आशय का शपथ-पत्र भी उन्हें न्यायालय के समक्ष पेश करना होगा। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी अभियुक्त श्री सोनी मोटवानी को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है क्योंकि प्रार्थी अभियुक्त ने उस पर लगाये गये आरोप को स्वीकार कर भविष्य में इस तरह की गलती की पुनरावृत्ति नहीं किये जाने हेतु आश्वस्त किया है। परन्तु अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (11) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 52 के अन्तर्गत अप्रार्थी अभियुक्त श्री सोनी मोटवानी को रु. 5000/- (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) शास्ती आरोपित की जाती है। अभियुक्त उपरोक्त शास्ती राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 21.12.2016 के एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 21.12.2016 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2016/464-23

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
- 2- अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अजमेर।
- 3- श्री सोनी मोटवानी पुत्र श्री लीलाराम मोटवानी, मैसर्स- सोनी कोल्ड ड्रिंक्स, सब्जी मण्डी, नसीराबाद, जिला अजमेर।

(किशोर कुमार)

न्यायायम निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

दिनांक : 23.12.16

न्यायायम निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर